न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़

राजस्व वाद मुकदमा नम्बर 97/2018 निर्णय दिनांक 13.12.2019

प्रभूराम पुत्र रामरखराम जाति जाट निवासी उदरासर तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर (राजस्थान)
वादी

बनाम

1पूर्णाराम 2 सुगनाराम पुत्रगण रामरखराम 3.लेखराम 4 हरिसिंह पुत्रगण रामरखराम 5 स्व. नोजा पत्नि रामरखराम 6 इन्द्रा 7 तुलछी 8 परमा 9 मोहनी 10 राजू 11 शान्ति पुत्रियां रामरखराम 13 मालाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासीगण उदरासर तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर 14 शाखा प्रबन्धक बैंक आफ बडौदा शाखा श्रीडूगरगढ़ 15 शाखा प्रबन्धक बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा आडसर 16 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ 17 उप पंजीयक श्रीडूगरगढ़ 18. भैरूसिंह पुत्र मालसिंह राजपुरोहित निवासी सवाई बडी तहसील सरदारशहर जिला चूरू
प्रतिवादीगण

उपस्थित–

1. श्री राजूराम बाना अधिवक्ता वादी की तरफ से ।
2. श्री के के पुरोहित अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 18 की तरफ से ।
3. श्री कैलाश सारस्वत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 13 की तरफ से
4. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।
5. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 से 12 की तरफ से श्री बजरंग लाल चोटिया अधिवक्ता ।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद इस न्यायालय में प्रभूराम ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि वादी के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंबर 405 तादादी 13.5700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 738 तादादी 20.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 932 तादादी 5.9700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 933 तादादी 0.7400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 934 तादादी 14.1800 हैक्टेयर रोही मौजा उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। जिसमें आपसी पारिवारिक विभाजन में वादी का 1/10 हिस्सा हिस्से पांती में आया हुआ है। वादी का कब्जा काश्त खसरा नंबर 405 तादादी 13.5700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 738 तादादी 20.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 932 तादादी 5.9700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 933 तादादी 0.7400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 934 तादादी 14.1800 हैक्टेयर के 1/10 हिस्से पर है। वादी के अपने कब्जे काश्त की भूमि पर शुरू से ही अपने हिस्से पाती के अनुसार काश्त चला आ रहा है। खेत खसरा नंबर 405 तादादी 13.5700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 738 तादादी 20.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 932 तादादी 5.9700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 933 तादादी 0.7400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 934 तादादी 14.1800 हैक्टेयर के 1/10 हिस्से पर वादी का व 4/10 हिस्से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 13 का कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वादी उक्त खसरा नंबर 405 तादादी 13.5700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 738 तादादी 20.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 932 तादादी 5.9700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 933 तादादी 0.7400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 934 तादादी 14.1800 हैक्टेयर रोही मौजा उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित अपने 1/10 हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि का विभाजन करवाना चाहता है एवं इसी अनुसार वादी ने अपनी खातेदारी हिस्सा की कब्जा–काश्त की भूमि पर सुधार कार्य करवाकर उपजाऊ बना रखी है। तथा पट्टी तार की सीमा कायम कर रखी है परन्तु भूमि का विधिवत् रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वादीगण को अपने हिस्से की कृषि भूमि से सम्बधित हर तरह कार्य करवाने एवं बैंक से ऋण लेने में कई तरीके की कठिनाई आती है। वादी ने प्रतिवादीगण से वादगत खेत का विभाजन बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादीगण टालमटोल प्रत्युत्तर देते रहे, परन्तु वादगत भूमि का विभाजन विधिवत् रूप से आज तक नहीं करवाया। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन का दावा प्रस्तुत कर रहा है। प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त से इनकार कर रहे है वादी को वादगत हिस्से से वेदखल करने पर आमन्दा हो रहे है तथा वादी का कब्जा छुडाने की धमकिया दे रहे है इसलिए वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध

Scanned by CamScanner

विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण से दिनांक 15.06.2018 को वादगत खेत का विभाजन करवाने के लिए कहा और कहा कि हम अपने इन खेतों का विभाजन करवा लेते है ताकि कृषि कनेक्शन लेने एवं ऋण लेने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। तब प्रतिवादी ने वादी की बात को मानने से इनकार कर दिया तथा धमकिया दी कि वादगत खेत से हम तुम्हे बेदखल कर देगे एवं इस खेत में से तुम्हे 1 बिस्वा भी भूमि नही देगे। वादगत खेत वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त खातेदारी के होने व प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.06.2018 को कहने पर भी सहमति स्वरूप विभाजन करवाने की इनकारी से वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादाधार व वाद हेतु हासिल है। वादी उक्त खेत के हिस्से को शुरु से ही अपने हक हिस्सा में काश्त करता चला आ रहा है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने दिनाँक 15.06.2018 को वादी को वादगत पर प्रवेश न करने, कृषि कार्य नही करने तथा प्रतिवादी सख्या 1 ता 13 ने वादगत खेत में जबरदस्ती प्रवेश करने, कब्जा करने व वादगत खेत को विक्रय करने की धमकियां दी है। वादी ने प्रतिवादी सख्या 1 ता 13 को वादगत खेत में उनके हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाने तथा किसी प्रकार की दखल न देने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने साफ इनकार कर दिया और धमकिया दी कि तुमको वादगत खेत में न तो घुसने देंगे, ना ही तुम्हारे हिस्से की भूमि लेने देंगे, वादगत खेत से बेदखल कर देंगे इस प्रकार वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 द्वारा दी गई धमकी की दिनाँक से वाद हेतु प्राप्त है तथा वादगत खेत में वादी का हिस्सा निहित होने से वादाधार प्राप्त हैं इसलिए द्वारा उक्त दावा विभाजन एवं निषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी उक्त विवादित खेत को लगातार काश्त करता चला आ रहा है व कब्जा काश्त एंव उपभोग भी लगातार चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 14 ता 15 के वादगत खेत रहन दर्ज होने से आवश्यक पक्षकार होने से दावे में पक्षकार संयोजित किये गये है। प्रतिवादी संख्या 16 जो कि लेण्ड होल्डर है जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, परन्तु कृषि भूमि के रिकार्ड का संधारण प्रतिवादी संख्या 16 द्वारा किया जाता है। उक्त दावा कृषि भूमि की खातेदारी विभाजन का है जिसमें प्रतिवादी संख्या 16 आवश्यक पक्षकार है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 16 को आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया है। उक्त दावा में प्रतिवादी संख्या 16 से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है ।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री आज्ञप्त फरमाई जावे :–

क. वादी को खसरा नंबर 405 तादादी 13.5700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 738 तादादी 20.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 932 तादादी 5.9700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 933 तादादी 0.7400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 934 तादादी 14.1800 हैक्टेयर के 1/10 हिस्से रोही मौजा उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर अलग खाता खाता विभाजन किया जावें व तद्नुसार ही राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में तरमीम किया जावे।

ख. वादीगण संख्या 16 को आदेशित किया जावें कि वो वादगत खेत खसरा नंबर 405 तादादी 13.5700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 738 तादादी 20.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 932 तादादी 5.9700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 933 तादादी 0.7400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 934 तादादी 14.1800 हैक्टेयर रोही मौजा उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी के हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन कर अलग से राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में संधारण करें। तद्नुसार ही अलग पास बुक जारी कर लगान कायम करें।

ग. प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो वादगत खेंत खसरा नंबर 405 तादादी 13.5700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 738 तादादी 20.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 932 तादादी 5.9700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 933 तादादी 0.7400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 934 तादादी 14.1800 हैक्टेयर रोही उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ से वादी को बेदखल नही करें, कब्जा, काश्त, उपयोग –उपभोग से वंचित नही करें तथा प्रतिवादी संख्या 16 व 17 को आदेशित किया जावें कि वो वादगत खेत के सम्बन्ध में प्रस्तुत होने वाले किसी भी लेख्य पत्र को तस्दीक नही करें ना ही प्रतिवादीगण ऐसा कोई भी कृत्य अथवा अपकृत्य नही करें न किसी से करवाये जिससे वादीगण के वैध अधिकारो पर विपरीत असर पड़ता हों।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को मौके कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या संख्या 13 की तरफ से जबाब पेश हुआ कि मुझ प्रतिवादी संख्या 13 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं कब्जा काश्त इस प्रकार चली आ रही है कि खेत खसरा नम्बर 405 केदक्षिणी दिशा 1/2हिस्सा, खसरा नम्बर 738 मेंउतरदिशा 1/2 हिस्सा मुझ प्रतिवादी संख्या 13 ने कृषि कुँआ बना रखा है खेत खसरा नम्बर 932 सम्पूर्ण रकबा व खसरा नम्बर 934 में सडक लगतीपश्चिमी दिशा की 4.505 हैक्टयर भूमि पर कब्जा काश्त मुझ प्रतिवादी संख्या 13 की शांतिपूर्वक निरन्तर चली आ रही है । मुझे प्रतिवादी संख्या 13 की कब्जा काश्त में दखल करने के आशय से यह दावा पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है । अतः मौके पर कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग के अनुसार डिक्री फरमावें ।

प्रतिवादी संख्या 18 ने जबाब पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी में दर्ज हिस्सा अनुसार व प्रतिवादी संख्या 18 द्वारा रजिस्टर्ड खरीद अनुसार खाता का विभाजन किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी संख्या 18 को कोई एतराज नहीं है ।

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 एवं 6 से 12 तथा 13 व 18 मौके कब्जे के आधार पर विभाजन हेतु सहमत है । अतः वादी वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

जमाबंदी सम्वत 2072–:2075 में अंकित हिस्से के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 से 12, 13 व प्रतिवादी संख्या 18 का खरीद शुदा खसरे का कब्जे एवं काश्त के अनुसार खाता विभाजन किया जाता है । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सें 12 का रहन यथावत रहेगा । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ मौके पर पहुंच कर वादी एवं प्रतिवादी के कब्जे काश्त के अनुसार वादी प्रतिवादी के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन के नियम 18 से 21 का अनुसरण करते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें । प्राथमिक डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर न्यायालय की मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ

Scanned by CamScanner